



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032026-270631
CG-DL-E-03032026-270631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1056]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2026/फाल्गुन 11, 1947

No. 1056]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026

का.आ. 1108(अ).—जबकि मेसर्स टोरेन्ट सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस "समन्वय", 600 तपोवन, अंबावाडी, अहमदाबाद -380015 (गुजरातपर स्थित है), ने कर्नाटक के कोप्पल में अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन स्कीम में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/114/2024-PG दिनांकित 23.12.2024 के अंतर्गत मेसर्स टोरेन्ट सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड को कर्नाटक के कोप्पल में अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन स्कीम में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स टोरेन्ट सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, द टाइम्स ऑफ इण्डिया दिनांक (अंग्रेजी में) 09.08.2025 और राजस्थान पत्रिका दिनांक (हिन्दी में) 09.08.2025, प्रजावाणी और विजया कर्नाटक दिनांक (कन्नड़ में) 09.08.2025, तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 04.10.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात्, मेसर्स टोरेन्ट सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड, ने दिनांकित 06.12.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें

घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से कोई टिप्पणी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स टोरेन्ट सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रखरखाव के लिए - भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं:

- मेसर्स टोरेन्ट सोलर पावर प्रास्थित) लिमिटेड का जेनरेशन पूलिंग स्टेशन . गांव: मंगलुरु, तालुका: कुकनुर, जिला: कोप्पल, कर्नाटक-से कोप्पल (II PS (ISTS S/s) 220kV S/c लाइन -लाइन की लगभग लंबाई)7 किमी, जिसमें से कोप्पल-II PS सिरे से तकरीबन 2-3 किमी पर (लगभग) मल्टी-सर्किट टावर्स पर कार्यान्वित किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव	तहसील	जिला	राज्य
रावुंकी, कलकेरी, मंगलुरु, बुडगुम्पी, बेलागेरी, येडायपुर, बेदवत्ती, सिरुरु, मुत्तल, कदराहल्ली, बालापुर, कवलकेरे	कुकनुर	कोप्पल	कर्नाटक
चिक मेगेरी, लक्ष्मणगुड्डा, गुट्टूर, वानगेरी, गुडगुंटी, लकमंगुले	येलबर्गा	कोप्पल	कर्नाटक

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स टोरेन्ट सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रखरखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमोंसंहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षकमुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन / करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- मेसर्स टोरेन्ट सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/14/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER**ORDER**

New Delhi, the 27th February, 2026

S.O. 1108(E).—Whereas M/s Torrent Solar Power Private Limited, the applicant with its registered office at Samanvay, 600 Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad-380015 (Gujarat), has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of dedicated overhead transmission line included in the transmission system for providing Connectivity for its RE Power Project in Koppal, Karnataka.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/114/2024-PG dated 23.12.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for providing connectivity to M/s Torrent Solar Power Pvt Limited for its RE Power Project in Koppal, Karnataka.

M/s Torrent Solar Power Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers, The Times of India (in English) dated 09.08.2025 & Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 09.08.2025, Prajavani & Vijaya Karnataka (in Kannada) dated 09.08.2025 and in Weekly Gazette of India dated 04.10.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Torrent Solar Power Private Limited has submitted an affidavit dated 06.12.2025 declaring that no observation/representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for providing Connectivity to M/s Torrent Solar Power Pvt Limited for its RE Power Project in Koppal, Karnataka. The following overhead transmission line is covered under this scheme:-

1. Generation Pooling station of M/s Torrent Solar Power Pvt. Ltd. (Located in Village: Mangluru, Taluka: Kuknur, District: Koppal, Karnataka)- Koppal-II PS (ISTS S/s) 220kV S/c line (Line Length is about 7 Km out of which about 2-3 Km (approx.) from Koppal II PS end will be implemented on multi-circuit towers)

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities in the State of Karnataka:

Villages	Tehsil	District	State
Ravunki, Kalkeri, Manglur, Budgumpi, Belageri, Yedayapur, Bedwatti, Siruru, Muttal, Kadarahalli, Balapur, Kavalkere	Kuknur	Koppal	Karnataka
Chik Megeri, Lakshmangudda, Guttur, Wangeri, Gudgunti, Lakmangule	Yelburga	Koppal	Karnataka

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Torrent Solar Power Private Limited for laying above mentioned overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

- vi. M/s Torrent Solar Power Pvt Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/14/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. Vara Prasad, Under Secretary (PG)